प्रेस विज्ञप्ति

23. 08. 2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और इसके प्रमोटर संजय सुरेका के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20/8/2025 को तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने सीएसपीएल और उसके निदेशकों/प्रमोटर्स के खिलाफ 6,210 72 करोड़ रुपये (ब्याज को छोड़कर) रुपये की धन का डायवर्जन / हेराफेरी, बढ़े हुए स्टॉक स्टेटमेंट जमा करना, बैलेंस शीट में हेरफेर आदि धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से धोखाधड़ी के लिए सीबीआई, बीएसएफबी, कोलकाता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।

तलाशी के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक के बैंक खातों का पता लगाया गया और उन्हें फ्रीज कर दिया गया। इसके अलावा, संजय सुरेका के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। यह भी ध्यान में आया है कि बैंकों द्वारा कुछ संपत्तियों के खिलाफ नकद ऋण की सीमा बढ़ाई गई थी, जो ईडी द्वारा पहले ही कुर्क की गई थीं। यह अतिरिक्त ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कुर्क की गई संपत्तियों के संभावित अनियमितताओं और दुरुपयोग को इंगित करता है।

जांच में कई कंपनियों के साथ वित्तीय लेनदेन की एक श्रृंखला सामने आई है, जो सीएसपीएल द्वारा उत्पन्न अपराध की आय की परत तैयार करने में शामिल पाई गई हैं। इन कंपनियों, उनके निदेशकों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की वर्तमान में विस्तृत जांच की जा रही है ताकि धन शोधन प्रक्रिया में उनकी पूरी भागीदारी का पता लगाया जा सके और अवैध धन के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाया जा सके।

इसके अलावा, यह भी पता चला है कि संजय सुरेका, न्यायिक हिरासत में रहते हुए, कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों और कई अन्य व्यक्तियों के साथ मोबाइल फोन के माध्यम से नियमित रूप से संपर्क में रहा है।

इस मामले में आज तक 612.71 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है और अभियोजन पक्ष की शिकायत पहले 15.02.2025 को और पूरक अभियोजन पक्ष की शिकायत 11.07.2025 को दर्ज की गई थी। इससे पहले आरोपी व्यक्तियों संजय सुरेका और अनंत कुमार अग्रवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।